तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	लिखी जा सकी। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष वादा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।
	पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी के पहचान के दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम "बिरजू सिंह पुत्र मूलसिंह" दर्ज है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत ने भी इस तथ्य की ताईद की है कि बिरजू सिंह पुत्र मूलसिंह व बृजमोहन सिंह पुत्र मूलसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में वाद, वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-
	आदेश
	तन ग्राम दल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित ख० नं० 276, 277, 281, 282, 283 रकबा 5.18 है० में से वादी के नाम दर्ज इन्द्राज में वादी का नाम "बृजमोहनसिंह पि० मूलसिंह" के स्थान पर "बिरजूसिंह पुत्र मूलसिंह" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला (सीकर)

व इजलास श्री रणजीत सिंह RAS

(1) बिरजूसिंह पुत्र मूलसिंह X. बनाम (1) भूमिधारी तहसीलदार, खण्डेला

दावा बावत घोषणा व दुरुस्ती रेकार्ड

मुकदमा नं. 70 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह RAS

व हाजिरी श्री भंवरसिंह चौधरी एड॰ मिनजानिब मुद्दई रूबरू —

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम दाल्याबास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज॰) अवस्थित ख॰ नं॰ 276, 277, 281, 282, 283 रकबा 5.18 है॰ में से वादी के नाम दर्ज हिस्सा में वादी का नाम "ब्रजमोहन पि॰ मूलसिंह" के स्थान पर "बिरजूसिंह पुत्र मूलसिंह" X.

मीजान X मुबलिग X बाबत X

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह X फीसदी ......सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक X को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 01 सन् 2020 को

जारी की गई।

दस्तखत (रणजीत सिंह)

ओहदा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner

※ जाति राजपूत निवासी तन ग्राम दान्तारामगढ़ [illegible]
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) (वादी)

※ दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व
रेकार्ड में अमल दरामद हो।

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner